

24/74

5725/6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

049700



विवरण विलेख

विपणन मूल्य - रु० 21,83,480/-
 बालास मूल्य - रु० 11,12,275/-
 स्थापन मूल्य - रु० 2,16,400/-
 परगना - सिवनी

यह विपणन विलेख भुरंजीन पुत्र मन्, निवासी-राज-कुसुम नगर
 उर्फ श्रीवास्तव, परगना- सिवनी, जिला लखनऊ

दि. 24/7/74



दि. 24/7/74


$$20-2103480 \quad \text{---}$$

(३० दिनांक)

उप निवेदन संख्या - २५

तारीख - ६-७-८६

निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

गणपति मंत्रार्पणं नमः ।
 नमो भगवते वासुदेवाय ।
 पावनं नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 श्री गणेशाय नमः ॥
 भगवान् गणेशाय नमः ॥
 श्री गणेशाय नमः ॥



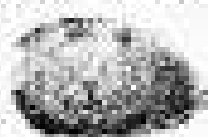
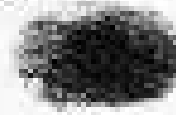
062536

- 3 -

जिन्हें अग्रे विक्रेता कहा गया है, एवम् आशा चाल पुत्र वाली,
गियाली-मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, ता. 20
जिन्हें अग्रे प्रोता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता साधारण जट्टवर्गिक स्त्रीणी सन् 1408 से
1413 फसली के खाता खलीनी कम तो 67 के लहारा

दिनांक 10/10/19



Page No.
10/10/19

100

29-6-06

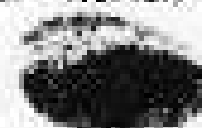
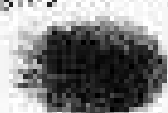


062537

- 3 -

संख्या-183 रा रकबा 0.025 हेक्टेअर, खसरा संख्या-973 रा रकबा
0.336 हेक्टेअर, खसरा संख्या-974 रा रकबा 0.264 हेक्टेअर व
खसरा संख्या-193 रा रकबा 0.259 हेक्टेअर, कुल भाट मिला व
कुल रकबा 0.884 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बुरुक नगर तर्फ
बगियामऊ, परगना-बिजनीर, तहसील व जिला- गठमऊ, या

निष्कर्षित



19-90

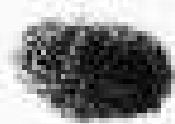
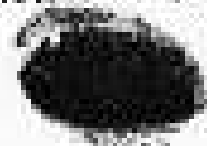


082535

- 4 -

मालिक, कानून व व्यक्ति है। जल भूमि विक्रेता की विरासत में
 मिली है उपरोक्त विहीत मर्यादित खालीनी क्रम संख्या-67 के
 आधार पर विक्रेता का नाम राज्य अधिलेखों में सश्रमणीय
 भूमिगत के रूप में दर्ज हो चुका है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिरण्य
 अपने पुत्र शशी कुमार में बिना किसी और जबरदस्ती या दबाव

(Handwritten signature)





062540

- 6 -

अथ, बिना, मीलों या अनुसन्धित इलाक़ों नहीं किया है। उपरोक्त
 भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी
 कार्यालयों के अन्तर्गत विवाद का वस्तु निषेध नहीं है, न ही कुर्क
 इत्यादि है। विरोधा के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति
 का स्वाम्य, हक़ या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विरोधा की उक्त

विरोधा के अलावा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

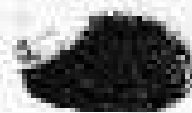
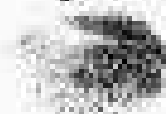
062511

- 7 -

निकल अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त
साक्षरों के परस्परालम्ब 21,83,482/- (एक लाख इक्कीस हजार
सित्ती छत्ता चार सौ अस्सी मात्र) के प्रतिफल में, जिसका कि
उपरोक्त सेवा द्वारा निम्नलिखित की इस वित्तिय के अन्त में दी गई
अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार सुगमता कर दिया जाता है एवं

निम्न. मुद्रित

दिए गए संख्या





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

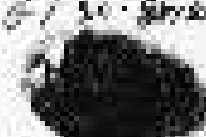
062344

- ४ -

जिसकी प्राप्ति को विवेकपूर्वक स्वीकार किया है, तदनुसार उक्त
विजेता उक्त सेवा के साथ उम्मीदवार वर्गीकृत भूमि, जिसका विवरण
इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है,
को काटई बंद दिया है। एवं विजेता ने विक्रयशुद्ध भूमि का बीका
पर कब्जा सेवा को कब्जा बंद दिया गया है। अब उक्त आराजी

दि. १०/११/२०११

दि. १०/११/२०११





062343

5

पर विद्वान् तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

निकला ने निर्यातगुहा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए होता को हस्तांतरित कर दिया है। अब तला निकलतगुहा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग

को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के

नि.स. गुरुजी

नि.स. गुरुजी





लखनऊ प्रदेश UTTAR PRADESH

062544

- 10 -

रूप में कारण एवं उपयोग व उपयोग करने। विवेका उसमें किसी प्रकार की अक्षयन बाधा नहीं उत्पन्न करने एवं न ही कोई भाग कर सकेंगे। और यदि विवेकाद्वारा सम्पत्ति अक्षयन कोई भाग विवेका के स्वामित्व में नृति के कारण या वागुणी अक्षयन या वागुणी नृति के कारण प्रेषा या उसके चालितान निष्पादकता इत्यादि के कारण या

निष्पादकता

निष्पादकता



70211

-11-

अधिकार का खाल से निकल जाये तो कंता उसके वारिसान,

निष्पाद्वगण इत्यादि को यह एक होगा कि वह अपना समस्त

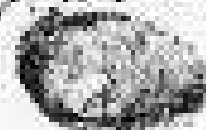
मुकदमा मय हर्जा व खर्चा, बिकला की चल, अचल सम्पत्ति से

जरिये अदागत वसूल कर ले। उस रियाज में गिरावा एवं उसके

वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

हरे कृष्ण

प्रा. ५/५/५५





7/10/57

- 12 -

यह कि प्रेषा विजयशुभा सम्पत्ति की दामित छानेन
 राजस्व अगिलेखों में अपने नाम दर्ज करा तें तो विवेका को कोई
 जानकारी न होगी और यह कि इस विवेका विलेख के पूर्व का अगर
 कोई कछरा बिस्ती तहह का नार इस सम्पत्ति पर होगा तो
 उसको बिस्ती मुगतात न माना करेगी, बिस्ती को कोई जानकारी
 न होगी।

दि १५-१०-१९५७

(दि १५-१०-१९५७)



7/11/69

- 17 -

यह कि अपरोक्त खसरा नम्बर मान दुसुफ नगर,
नगिरावाऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य चाम के अन्तर्गत आता है
इसलिए निर्धारित सरकारी रेट रू० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के
हिसाब से सिद्धीत भूमि 0.834 हेक्टेयर की मालिकता रू०
9,72,400/- होती है परन्तु खसरा संख्या-103 व खसरा

डि० डि०

डि० डि०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

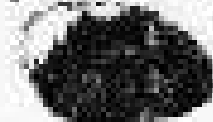
811907

- 14 -

संख्या-२१ गांव के रास्ते पर स्थित है अतः उस पर १० प्रतिशत
अतिरिक्त बाजार मूल्य व इसका संख्या-१७३ आबादी के निकट
होने के कारण उस पर ३५ प्रतिशत अतिरिक्त बाजार मूल्य के
साथ कुल समस्त विक्रीत भूमि का कुल बाजार मूल्य लग
११,१२,३७५/- होता है। भूमि मूल्य सूच, भूमि की बाजार मूल्य

६-४-२०१०

ने की जायेगा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

395354



- 15 -

से अधिक है इसलिए नियमानुसार बिक्रय मूल्य पर ही रु०
 2,78,400/- अन्ततः स्टाप्स अदा किया जा रहा है। यह कि
 उपरोक्त विपरीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए जरा भी जा रही
 है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं
 है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है जिससे

नि. ७७/७७

नि. ७७/७७



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

395385



- 16 -

भूमि विन्सी सिक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विन्सीत भूमि गहरी पथ से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विन्सीत एवं ग्रेना दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विन्सीत विलेज के निम्नान या लगभग अन्य ग्रेना द्वारा बाल किया गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 17 -

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख

दिया ताकि सन्द छे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुद्धा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित पट्टाधिकार खतीनी सन् 1408 से 1413 बसली के
खाता खतीनी क्रम सं० 67 के खसरा संख्या-1834 रकबा
0.025 हेक्टेअर, खसरा संख्या-9734 रकबा 0.336 हेक्टेअर,

वि. क. अधिकारी

नि. सं. 10/14/17

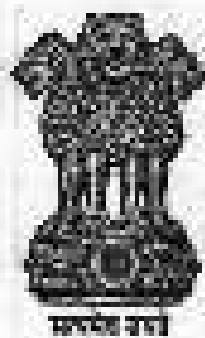


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 532674

- 18 -

खसरा संख्या-974 रकबा 0.264 हेक्टेअर व खसरा
संख्या-193 रकबा 0.259 हेक्टेअर, कुल घाट मिता व कुल
रकबा 0.884 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-बुसुक नगर ठरक बगियामऊ,
परगना-मिर्जानौर, तहसील व जिला- लखनऊ जिसकी चौहद्दी
निम्न है।

खसरा नं० 183

पुत्र
परिवार

: खसरा संख्या-184
: दास्ता

डि. 25. 10. 1983

डि. 25. 10. 1983

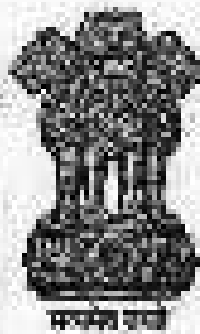


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 19 -

उत्तर : खसरा संख्या-200

दक्षिण : खसरा संख्या-184

खसरा नं० 97.अ व ब

पुर्व : रास्ता

पश्चिम : खसरा संख्या-84

उत्तर : खसरा संख्या-96

दक्षिण : खसरा संख्या-98 व 99

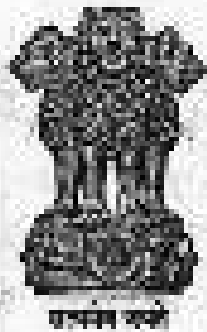
निर्देश

निर्देश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 532676

- 20 -

खसरा नं० 193

पुर्व : खसरा संख्या-181

पश्चिम : खसरा संख्या-186 व 187

उत्तर : खसरा संख्या-194 व 197

दक्षिण : बकरी

P. M. K. K. K.

बकरी



परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु० 21,83,480/- (रुपया इक्कीस लाख तिरासी हजार चार सौ अस्सी मात्र) में से विक्रेता को पांच-पांच लाख के चार चेक क्रमशः चेक सं० 459059, 459060, 459061, 459062 व रु० 1,83,480/- (रुपया एक लाख तिरासी हजार चार सौ अस्सी मात्र) द्वारा चेक संख्या-459063 सभी चेक दिनांकित 29.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदोई, लखनऊ विक्रेता ने ब्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 29.06.2006

गवाह

1. श्री. पन्ड
श्री. ए. ए. ए. ए.
प. पी. पी. पी.
प. पी. पी. पी.

2. श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.
श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.
श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.



विक्रेता

श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.



टाइपकर्ता

श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.

(अमय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

श्री. श्री. श्री. श्री. श्री.

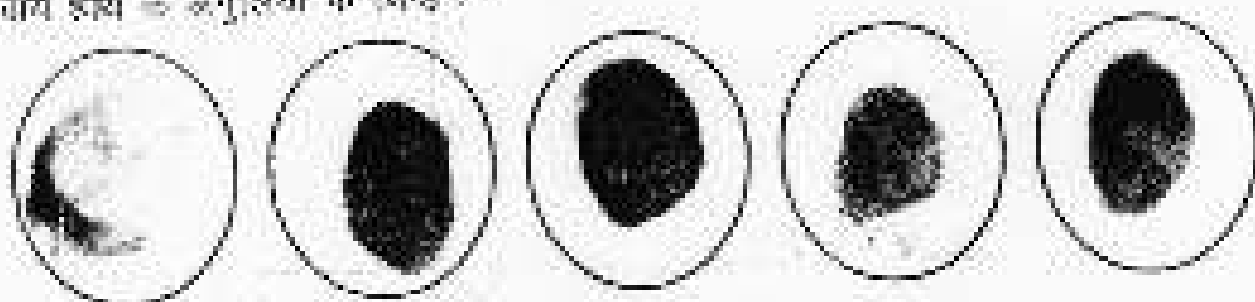
(सीधुदेव अन्वर हुसैन)

एडवोकेट

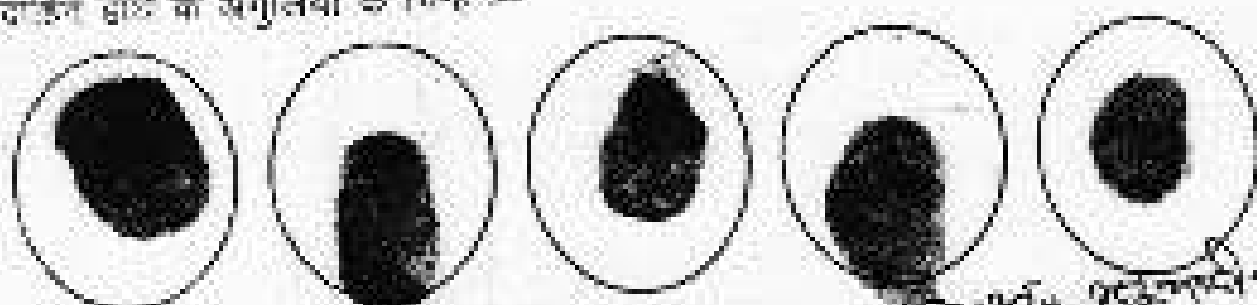
एडिल्टेडेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 एड के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रत्युक्त/विशेष नाम न पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



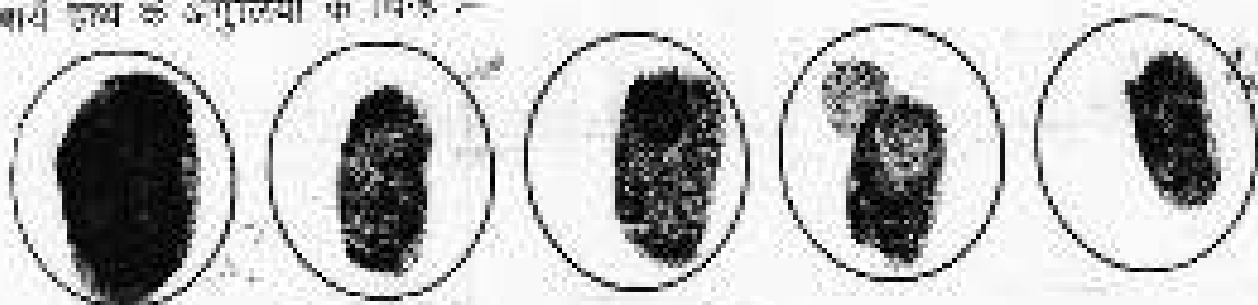
दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रत्युक्त/विशेष नाम न पता :-

विशेष/वेदा नाम न पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विशेष/वेदा नाम न पता :-

નકશા - નજરી

પ્રાંત - ગુજરાત-સાદ જીલ્લાનું પાલિકા કલેક્ટરનું
અમલકા નં. - 11381, 9230, 9231, 793.

વિકેતા - લુકાદમી $\frac{3}{4}$ અન્ડ

જેલો - નજરના ઘાલ $\frac{3}{4}$ ઘાલી

૨૦૦ કી. મિલિન છે જાણવું વિષય મળતો બીજા સંપત્તિઓ ના વિષય



સિ.જી. મુકિયાની

સિ. જી. મુકિયાની

नोट-१) न. न. न. न.

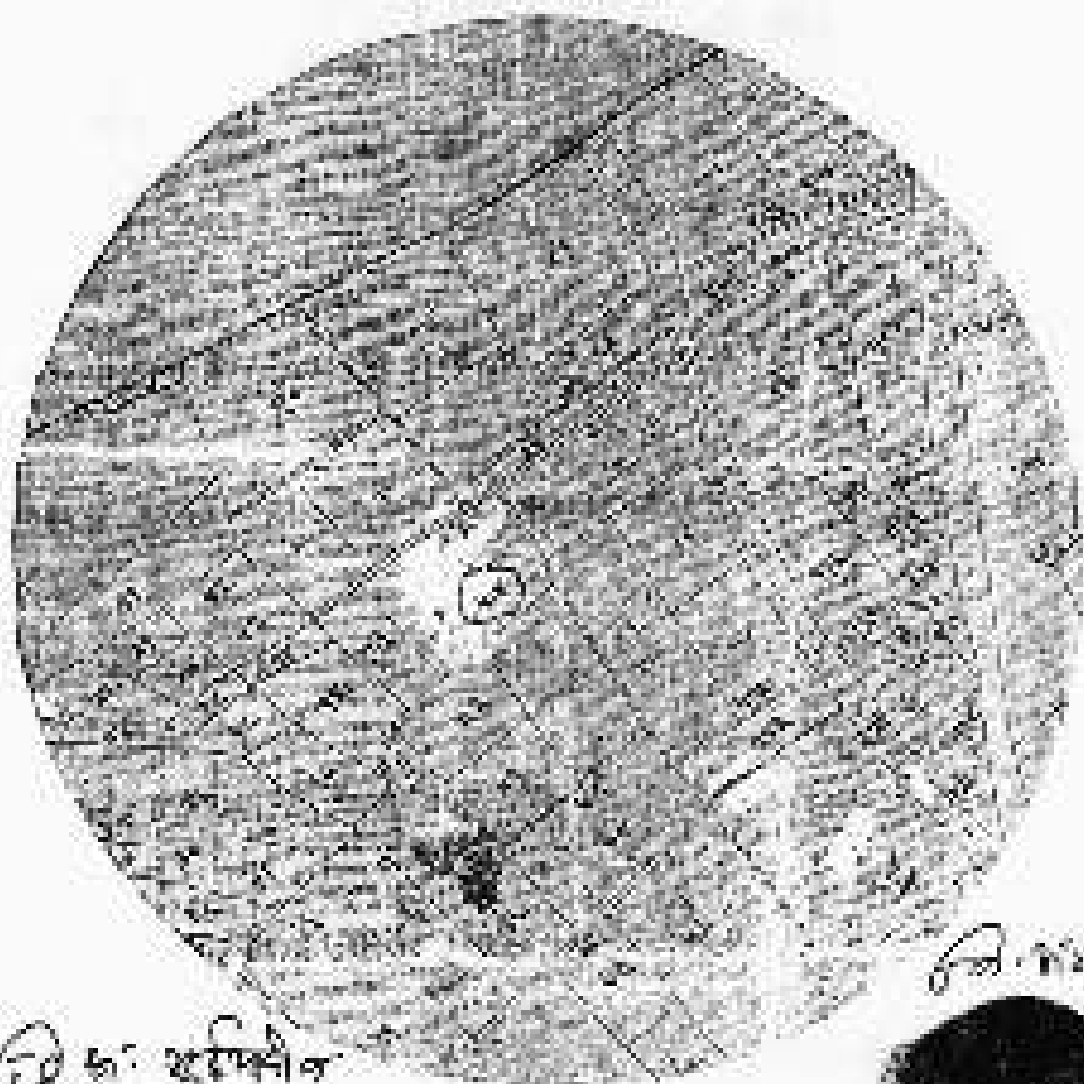
प्रमाण : - प्रमाण-पत्र जारीकर्ता, प्रमाण-पत्र जारीकर्ता

प्रमाण नं. : - १३३, १३३, १३३, १३३

प्रमाण : - प्रमाण-पत्र १/१३३

प्रमाण : - प्रमाण-पत्र १/१३३

प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्रमाण-पत्र जारीकर्ता



प्रमाण-पत्र जारीकर्ता

प्रमाण-पत्र जारीकर्ता

मात्र (२) २३७०७

प्रमाण नं० दिनांक १६७३

700 303
 100 25
 800 278

पंचाली एन.डी. ०

(3) को संयोजक
संयोजक-1/1/1
संयोजक-2/2/2